न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 58 / 2018

1 भंवरलाल उम्र 75 साल पुत्र मेघाराम जाति माली निवासी ग्राम सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मूलचन्द पुत्र भंवरलाल।
2 सुखदेव पुत्र भंवरलाल।
3 सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल।
4 कानाराम पुत्र भंवरलाल।
5 महेश कुमार पुत्र भंवरलाल समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर कम 2 महोदय सीकर प्रकरण मूलचन्द बनाम भंवरलाल वगैरह टी.आई. संख्या 74 / 2017 निर्णय दिनांक 05.06.18

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–04.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में रिकार्ड व मौके के विपरित कतई झुठे मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन रिकार्डेड खातेदार अपीलांट के खिलाफ प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 1.94 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.08 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर में अपना पुश्तैनी हक हिस्सा 6/7 हक हिस्सा मानते हुए दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थीगण/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 को चुनौतिग्रस्त कृषि भूमियों में प्रार्थी के हक हिस्से में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने एवं नींव–सींव तोड़फोड़ करने पेड़–पौधे काटने, कच्चा पक्का निर्माण करने, रहन विकय हस्तान्तरण करने से प्रतिबंधित किया जाने व विवादित भूमियों के बाबत अन्तरण प्रलेख पंजिकृत करने तथा मौका एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने से बाज रहने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ की गयी, जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन करते हुए जबाव प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने घोषणा, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर इसके साथ टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार को टी.आई. से पाबन्द कर दिया। विधि अनुसार पिता के जीवनकाल में रेस्पोडेंट पैतृक भूमियों के सन्दर्भ में घोषणा व विभाजन करवाने का अधिकारी नही है अपीलांट को उसके पिता से विवादित भूमियां प्राप्त हुई है। जिनके उपयोग उपभोग से उसे वंचित नही किया जा सकता है विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016(1) पेज 364 एवं आर.आर.सी. 1997 पेज 205 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियां पैतृक होना एवं पिता से प्राप्त होना अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है। अपीलांट को भी भूमियां विरासतान मिली है। भूमियां पैतृक है रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट का पुत्र है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। अपीलांट ने समस्त भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को उपहार विलेख से दे दी है। अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने घोषणा, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर इसके साथ टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार को टी.आई. से पाबन्द कर दिया। विधि अनुसार पिता के जीवनकाल में रेस्पोडेंट पैतृक भूमियों के सन्दर्भ में घोषणा व विभाजन करवाने का अधिकारी नही है अपीलांट को उसके पिता से विवादित

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमियां प्राप्त हुई है। जिनके उपयोग उपभोग से उसे वंचित नही किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016(1) पेज 364 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Impositon of celling on Agricultural Holdings Act, 1973- Secs. 15(2) & 23(2) - Addl.Collector re-opened the case & 4.30 std. acre land found in excess from ceiling limit & ordered to resume- son cannot claim partition in the life time of the father - Only co-khatedar are entitled for partition- Held, Appeal is liable to be dismissed.

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार नही है, सहखातेदार भी नही है। विधि अनुसार रेस्पोडेंट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में स्पष्ट है कि पुत्र पिता के जीवनकाल में विभाजन का दावा नही कर सकता है। केवल सहखातेदार विभाजन हेतु पात्र है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार किये बिना विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर